रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83A] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, फरवरी 27, 1975/फाल्गुन 8, 1896
No. 83A] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 1975/PHALGUNA 8, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February 1975

S.O. 113-A(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Maternity Benefit (Amendment) Act, 1973 (52 of 1973), the Central Government hereby appoints the 1st day of March, 1975 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. S-36012/2/73-HI]
D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी 1975

का० आ० 113-ए (अ).—प्रसूति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 52) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मार्च, 1975 के पहले दिन को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिससे उक्त अधिनियम लागू होगा।

[सं० एस-36012/2/73-एच० आई०]
डी० एस० निमि,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI 1975